

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प रावलखेडा

प्रकरण संख्या/670/2021

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री शैलान सिंह पुत्र सुरजमल मीठा
नि. रामगढ

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का रावलखेडा भू. अ. नि. जहाजपुर एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामगढ प. ह. रावलखेडा
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 33, 34, 35 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि शक्ति सिंह पुत्र सुरजमल मीठा
के स्थान पर शैलान सिंह पुत्र सुरजमल मीठा
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

Du

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री शैलान सिंह पुत्र सुरजमल मीठा नि. रामगढ
3. रक्षित पत्रावली

Du

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा